कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के लिए चारदीवारी की अनिवार्यता खत्म

प्रबंधक समिति के बजाय एसडीएम कर सकेंगे ग्राम सभा की भूमि का ट्रांसफर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए अब चारदीवारी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि ग्राम सभा की भूमि किसी अन्य विभाग या योजना के लिए देने पर भूमि प्रबंधन समिति की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए राजस्व संहिता में दो संशोधनों के लिए दो अध्यादेशों को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन मंजूरी दी गई है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2020 से कृषि भूमि का भू उपयोग परिवर्तन शीघ्रता से हो सकेगा। जिससे औद्योगीकरण में तेजी आएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का शीघ्रता से क्रियान्वयन हो सकेगा। इस अध्यादेश में शर्त है कि यदि भू-उपयोग के 5 वर्ष के भीतर गैर कृषि कार्य नहीं होता है तो पुराना भू-उपयोग लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली तृतीय संशोधन 2020 से प्रस्तावित संशोधन से खसरे को कंप्यूटरीकृत करने से सरकार की योजनाओं, दैवीय आपदा-राहत कार्य के लिए डाटा उपलब्ध हो सकेगा।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को आसानी से दर्ज किया जा सकेगा। खतौनी के कंप्यूटराइजेशन, वरासत दर्ज करने की ऑनलाइन प्रक्रिया से आम लोगों को सीधा लाभ मिल सकेगा। इस संशोधन से भूमि प्रबंधक समिति के स्थान पर उपजिलाधिकारी भी डीएम के माध्यम से ग्राम सभा की भूमि का स्थानांतरण कर करेंगे। संशोधन के बाद राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली से निर्गत बार कोड युक्त आदेश पत्रक पर भी आदेश पारित करेंगे। भू-राजस्व से संबंधित प्रकरण डिजिटलाइज्ड होंगे।

उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्व संहिता नियमावली में दो संशोधन

दारुलशफा में गिराया जाएगा पुराना जर्जर निर्माण

दारुलशफा (विधायक निवास) में नव निर्माण कराने के लिए पुराने जर्जर भवन गिराने को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। पुराना निर्माण गिराने के बाद ही वहां नया कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होगा। इस संबंध में राज्य संपत्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।

मोहम्मदी व जालौन समेत पांच पालिका परिषदों का होगा सीमा विस्तार

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी समेत पांच नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार करने का फैसला किया है। नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए इससे संबंधित प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। जिन 4 अन्य नगर पालिका परिषदों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उनमें जालौन, सरसवा (सहारनपुर), खुर्जा और बिजनौर नगर पालिका परिषद शामिल हैं। इन सभी नगर पालिका परिषदों की सीमा से सटे राजस्व गांवों को नगर निकाय में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी सरकार ने 28 नई नगर पंचायतों के गठन के साथ ही गोरखपुर और वाराणसी नगर निगमों और 9 नगर पालिका परिषदों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ही मंजूरी दी थी। विधायी सूत्र ने बताया कि इसके अलावा अभी कई और नगर पंचायतों के गठन के साथ ही कई नगर निकायों के सीमा विस्तार का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन सरकार ने सभी प्रस्तावों पर फिलहाल रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक इन प्रस्तावों पर अब पंचायत चुनाव के बाद ही फैसला लिया जाएगा।